न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 1736–एक/2010 विरूद्ध आदेश दिनांक 29–11–2010 पारित द्वारा अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर, प्रकरण कमांक 186/2007–08/निगरानी

.....

1–सोहन पिता रामेश्वर
2–भारत पिता रामेश्वर
3–अमृताबाई पति स्व0रामेश्वर
तीनों निवासी ग्राम गुडर तहसील देपालपुर
जिला इंदौर

.....आवेदकगण

विरूद्ध

श्रीमती लीलाबाई पति रामेश्वर
निवासी गुडर तहसील देपालपुर
जिला इंदौर

.....अनावेदक

आवेदकगण – अनुपस्थित ।
अनावेदक – अनुपस्थित ।

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 16/8/16 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–11–2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि नायब तहसीलदार द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 16–5–2007 के पालन में प्रकरण कमांक 14/अ–6/2006–07 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान नायब तहसीलदार द्वारा आवेदकगण को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अंतिम अवसर दिया गया, परन्तु

आवेदकगण की ओर से न तो कोई उपस्थित हुआ और न ही साक्ष्य प्रस्तुत किये गये। अतः तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 9'4–08 को आदेश पारित कर आवेदकगण का साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर समाप्त किया गया । नायब तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध निगरानी अपर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 10–6–08 को आदेश पारित कर निगरानी निरस्त की गई । अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध निगरानी अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई और अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 29–11–2010 को आदेश पारित कर निगरानी निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ दिनांक 21–6–2016 की नियत पेशी पर उभयपक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, अतः प्रकरण का निराकरण निगरानी मेमों में उल्लिखित आधारों एवं अभिलेख के आधार पर किया जा रहा है । इस प्रकरण में में केवल यही मुद्दा विचारणीय है कि तहसील न्यायालय द्वारा आवेदकगण का साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर समाप्त करने में अवैधानिक कार्यवाही की गई है, अथवा नहीं । इस संबंध में आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निगरानी मेमों में मुख्य रूप से केवल यही आधार लिया गया है कि न्यायहित में आवेदकगण को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन हेतु पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिये था, परन्तु तहसील न्यायालय द्वारा आवेदकगण को पर्याप्त अवसर नहीं देते हुये उनका साक्ष्य का अवसर समाप्त करने में अवैधानिक एवं अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है । यह भी आधार लिया गया है कि आवेदकगण साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु तत्पर है और यदि उन्हें साक्ष्य का अवसर नहीं दिया गया तो उन्हें अपरिमित क्षति होगी ।

4/ अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह निगरानी तहसीलदार के अंतरिम आदेश दिनांक 29–11–2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है और तहसीलदार द्वारा दिनांक 16–12–2010 को अंतिम आदेश पारित कर दिया गया है, इसलिये यह निगरानी निरर्थक हो जाने के कारण निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर